Mo.9235560283

ALL INDIA LOCAL T. V. CHANNEL OWNER'S WELFARE TRUST (R)

Head Office— 151-B, NEAR RAVI ICE FACTORY, ASHOK NAGAR, BASHARATPUR, GORAKHPUR , (U.P.)

Ref.No.- मेमो /2014 DATE:- 28-07-2014

श्री अग्नेश्वर सेन, ट्राई,सलाहकार

(बी एण्ड सी एस)नईदिल्ली

विषय :—टेलीकाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र के संदर्भ में जारी परामर्श पत्र संख्या.07/2014, दिनांक 23—06—2014 पर आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा दिये गये सुझावों के सन्दर्भ में :—

आदरणीय महोदय,

टेलीकाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र के संदर्भ में परामर्श पत्र संख्या.07/2014, दिनांक 23—06—2014 को जारी करने के लिए आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आप सभी को साधुवाद देते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर लोकल टी0वी0 चैनल के अस्तित्व के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दु ग्रहण करने का निवेदन कर रहा है।

महोदय, परामर्श पत्र का अवलोकन करने के उपरांत ऐसा विदित होता है कि इस परामर्श पत्र में लोकल टी0वी0 चैनल के अस्तित्व को संज्ञान में नहीं लिया है। जबकि देश के सभी राज्यों के लगभग सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर लोकल टी0वी0 चैनल का प्रसारण होता है। यह लोकल टी0वी0 चैनल का प्रसारण नॉन सेटेलाईट चैनल एवं जिलास्तर पर अपनी अलग आईडेंटिटी बरकरार रखते हुए डी0पी0ओ0/एम0एस0ओ0 के प्लेटफार्म पर अपने कार्यक्रम का प्रसारण करता है। आपके संज्ञान में यह बिंदु लाना अत्यन्त आवश्यक है कि अलग—अलग राज्यों में पूर्व में कानून बनाकर लोकल टी0वी0 चैनल के प्रसारण की लाईसेंसिंग की व्यवस्था है। यह लाईसेंस जिला प्रशासन द्वारा गहन छानबीन कर विज्ञापन एवं प्रोग्राम कोड को मद्देनजर रखते हुए नियम शर्तों एवं शुल्क के साथ दिये जाने की व्यवस्था चली आ रही है। उदाहरण के लिए,उ0प्र0 में केबिल टी0वी0 पर निजी चैनल के संचालन की अनुमति देते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन,टी0 जार्ज जोसेफ, ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश सं0—170 दिनांक 16फरवरी 2001 के माध्यम से निर्देश दिया था कि अग्रेतर निर्णय होने तक अतिरिक्त लाईसेन्स फीस जमा न करने

28-7-2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

के आधार पर लोकल टी0वी0चैनलों को संचालित करने पर केबिल आपरेटरों को प्रताड़ित न किया जाय। तभी से उत्तर प्रदेश में लोकल टी0वी0चैनलों का प्रसारण होता रहा है।

(दिनांक–16/02/2001 को जारी शासनादेश सं0.170 की छाया प्रति संलग्न)

महोदय, वर्ष 2004 में भारत सरकार ने ट्राई एक्ट के प्रावधान में संशोधन करते हुए ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विसेज को दूरसंचार सेवाओं के रुप में अधिसूचित कर देने से अब प्रसारण एवं केबिल सर्विसेज का समस्त अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र की सूची में सूचीबद्ध हो गया है।

अतः एम0आई0बी0/ट्राई का यह अधिकार है कि वह राज्यों के बजाय स्वयं लोकल टी0वी0 चैनल के पंजीयन की व्यवस्था अलग से करें।

सम्भवतः यह महत्वपूर्ण पक्ष परामर्श पत्र में छूट गया है फिर भी आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने इसी परिपेक्ष्य को ध्यान में रखकर आप द्वारा जारी परामर्श पत्र के सभी बिन्दुओं में लोकल टी0वी0 चैनल से जुडे विचार व विषय के अनुरुप उत्तर दिये हैं :–

बिन्दुवार सुझाव

1.3 :– डीएएस वातावरण के संदर्भ में प्रदत्त विचार से आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट सहमत नहीं है। क्योंकि प्रसारण में प्रयुक्त तकनीकि (प्रणाली) आप्टिकल फाइबर केबिल में कम्यूनिकेशन का माध्यम टू वे है। लोकल टी0वी0 चैनल /एल0सी0ओ0 अपने प्रोग्राम को उसी आप्टिकल फाइबर केबिल के माध्यम से एम0एस0ओ0 तक कूटबद्ध संकेतों को पहुँचा कर सभी चैनेलों के साथ फीड में सम्मिलित हो सकता है। और डी0पी0ओ0 पर ब्रॉडबैण्ड के माध्यम से प्रसारित कूटबद्ध संकेतों के रुप में भी शामिल किया जा सकता है।

1.4 :– पारम्परिक अर्थ में लोकल टी0वी0 चैनल भी ब्राडकास्ट चैनल की श्रेणी में हैं, परन्तु यह टी0वी0 प्रसारण के अलग रुप में विभेदित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकल टी0वी0 चैनल का क्षेत्र जिलास्तर तक ही सीमित है और किसी भी दृष्टि से अन्य नियमित सेटेलाईट टी0वी0 चैनल में किसी प्रकार से इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाता है।

1.5 :– लोकल टी0वी0 चैनल का प्रसारण भी सामान्य टी0वी0 चैनेलों के अनुसार होता है जिसका वितरण का माध्यम डी0पी0ओ0 (एम0एस0ओ0,हिट्स, आई0पी0टी0वी0) का प्लेटफार्म हो सकता है। डी0टी0एच0 के प्लेटफार्म को छोड़कर क्योंकि लोकल टी0वी0 चैनल का क्षेत्र जिलास्तर तक ही सीमित है।

1.6 :– यह परिभाषा सीमित है अतः आंशिक सहमति है। क्योंकि लोकल टी0वी0 चैनल की परिभाषा इस बिंदु में अपरोक्ष रुप से समाहित है। इस कारण लोकल टी0वी0 चैनल की एक अलग पहचान होना आवश्यक है।

1.7 :– सहमत हैं।

1.8 :– लोकल टी0वी0 चैनल से इस प्रकार की गतिविधियों से कोई सम्बंध नहीं है।

1.9 :– कोई टिप्पणी नहीं।

28-7-2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

1.10 :– लोकल टी0वी0 चैनल द्वारा अपलिंकिंग/डाउलिंकिंग जैसी कार्यप्रणाली का होना असम्भव है क्योंकि लाईसेंस/वितरण का क्षेत्र जिला स्तरीय ही होगा।

परामर्श के लिए दिये गये मुद्दों के सम्बंध में कहना है कि लोकल टी0वी0 चैनल में किसी भी प्रकार के एफ0डी0आई0 की कोई सम्भावना नहीं है।

2.1.1 :– लोकल टी0वी0 चैनल कर सकते हैं(समाहित कर सकते हैं) क्योंकि लोकल टी0वी0 चैनल में किसी तरह का कोई एफ0डी0आई0 नहीं होगा।

2.1.2 :– स्थानीय स्तर की राजनैतिक घटनाओं को प्रेषित या सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे स्थानीय निकाय, राजनैतिक बैठकें,रैलियां,राजनैतिक विचार गोष्ठियॉ एवं ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों को प्रेषित या सम्मिलित कर सकते हैं।

2.1.3 :– सहमति है।

2.1.4 :– सहमति है।

2.1.5 :– से 2.2.6 तक कोई टिप्पणी नहीं।

3 :– *लोकल टी0वी0 चैनल नियमित टी0वी0 प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका विस्तार (भौगोलिक क्षेत्र) जिलास्तरीय ही है।*

1.11 :–पी0एस0 चैनलों में लोकल टी0वी0 चैनल के श्रेणी के माध्यम से प्रेषित सामग्री,निर्धारित नियम, एवं शर्तों को अनुपालन सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोकल टी0वी0 चैनल पर ही होगी अतः पंजीयन प्रकिया लोकल टी0वी0 चैनल पर ही लागू होगी।

1.12 :– लोकल टी0वी0 चैनल का पंजीयन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक(आर0एन0आई0) जो एम0आई0बी0 के अधीन संस्था है के नियमों के अनुरुप हो। और ऐसे में निजी/व्यक्तिगत/कम्पनी/ ट्रस्ट/सोसाईटी के रुप में पंजीकृत संस्था ,लोकल टी0वी0 चैनल के लाईसेंस हेतु अर्ह हो सकते हैं।

1.13 :– लोकल टी0वी0 चैनल भी आई0पी0टी0वी0 के साथ जुड़ सकता है।

1.14 :– लोकल टी0वी0 चैनल भी एम0आई0बी0 के दिशा निर्देशों के अनुरुप स्वतंत्र रुप से पंजीयन करायेगा।

1.15 :–सहमति है।

1.16 :– लोकल टी0वी0 चैनल भी आवश्यकतानुसार कम्पनी एक्ट के तहत पंजीकृत हो सकते हैं।

28.7.2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

4:–कानूनी एकरुपता बनाये रखने के लिए सभी लोकल टी0वी0 चैनल को अलग से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

1.17 :–

से

1.20 :– सहमति नहीं है। क्योंकि लोकल टी0वी0 चैनल में किसी प्रकार की एफ0डी0आई0 की गुंजाईश/सम्भावना नहीं है।

5:– कोई विचार नहीं।

1.21 :– लोकल टी0वी0 चैनल से कोई सम्बंध नहीं।

6:– लोकल टी0वी0 चैनल पर लागू नहीं।

1.22 :– लोकल टी0वी0 चैनल के संचालन/पंजीयन में जिला पुलिस एवं प्रशासन के माध्यम से एल0आई0यू0 द्वारा गोपनीय रिर्पोट की व्यवस्था आवश्यक है।

7:– गोपनीय रिर्पोट को ही सुरक्षा मंजूरी/शर्तों के रुप में स्वीकार किया जाए।

1.23 :– भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर0एन0आई0) के नियमों के अनुसार जिला प्रशासन के रिपोर्ट के माध्यम से लोकल टी0वी0 चैनल के शर्त ,शुल्क आदि की व्यवस्थाएं समाचार पत्र/पत्रिका के समान किये जाने की अनुशंसा होनी चाहिए। जिसके परिचालन के क्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र जिला स्तरीय हो।

1.24 :– इसी प्रावधान के आलोक में ही आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने पूर्व में ही पंजीयन हेतु नियमावली बनाए जाने का प्रतिवेदन एम0आई0बी0 एवं ट्राई को प्रेषित किया है।

1.25 :– पंजीयन आवश्यक है इसलिए केन्द्र सरकार (एम0आई0बी0) अपने स्तर तथा अलग से लोकल टी0वी0 चैनल का पंजीयन कराने की व्यवस्था करे।

1.26 :– लोकल टी0वी0 चैनल से सम्बंधित नहीं है।

1.27 :– लोकल टी0वी0 चैनल का पंजीयन अलग से एम0आई0बी0 द्वारा किया जाए तथा यह किसी डी0पी0ओ0/एम0एस0ओ0 के अधीन न हो।

1.28 :– *चूँकि स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयोजकत्व में जिला निगरानी समिति सभी प्रकार के प्रसारणों की निगरानी की जाती है ऐसे में किसी भी आपत्तिजनक कार्यक्रम/कन्टेन्ट के विरुद्व लोकल टी0वी0 चैनल के संचालक/स्वामी पर कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान उपलब्ध है।*

1.29 :– लोकल टी0वी0 चैनल के पंजीयन की अवधि दस वर्ष निर्धारित हो।

1.30 :– लोकल टी0वी0 चैनल के परिचालन का भौगोलिक क्षेत्र लाईसेंस/पंजीकरण के अनुमति के समय ही जिला स्तरीय हो।

1.31 :– लोकल टी0वी0 चैनल पर लागू नहीं।

28-7-2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

1.32 :– लोकल टी0वी0 चैनल पर लागू नहीं।

8:– लोकल टी0वी0 चैनल का पंजीयन एम0आई0बी0 द्वारा आन लाईन किये जाने के सम्बंध में न्यूनतम रु0 500/– वार्षिक के आधार पर 10 वर्ष हेतु रु0 5000/– निर्धारित किया जा सकता है।

9:– पिछले ट्रैक रिकार्ड के आधार पर लोकल टी0वी0 चैनल को नवीनीकरण की व्यवस्था पंजीयन शुल्क लेकर होनी चाहिए।

10:– लोकल टी0वी0 चैनल का भौगोलिक क्षेत्र जिला स्तरीय ही हो क्योंकि स्थानीय जनता को इससे लाभ होगा तथा उनकी समस्याओं एवं उसके निवारण आदि की दिशा में उन्हे सरकारी एवं प्रशासनिक सूचनाए/जानकारी उपलब्ध हो सकेगी साथ ही स्थानीय बाजार गतिविधियां खेलकूद,बाढ,मौसम,खेती बागवानी,स्वास्थ्य आदि जैसी जानकारियां भी स्थानीय स्तर पर उन्हे मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध होगी। चूँकि लोकल टी0वी0 चैनल के प्रसारण का भौगोलिक क्षेत्र जिले की सीमा के अन्दर होगा इससे राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय चैनलों के क्षेत्र में अतिक्रमण की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होगी।

1.33 :– मेंट्रोपोलिटन महानगरों क्षेत्र में 20 , महानगरों पर 10,और छोटे शहरों में 6 लोकल टी0वी0 चैनल के पंजीयन की सीमा होनी चाहिए।

1.34 :– डी0पी0ओ0 को लोकल टी0वी0 चैनल की संख्या के निर्धारण का अधिकार नहीं हो क्योंकि स्थानीय स्तर पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसलिए एम0आई0बी0 ही यह निर्णय ले।

11:– लोकल टी0वी0 चैनल की संख्या निर्धारित होनी चाहिए परन्तु डी0पी0ओ0 को यह अधिकार कदापि नहीं दिया जाए वरन् इसका निर्णय एम0आई0बी0 करे।

1.35 :– डी0पी0ओ0 को कोई दायित्व लोकल टी0वी0 चैनल के सम्बंध में न सौंपा जाये जिससे लोकल टी0वी0 चैनल के अधिकारों का हनन हो। यह दायित्व पूर्णतया एम0आई0बी0 एवं ट्राई के अधीन सुनिश्चित हो तथा समय–समय पर अन्य दिशा निर्देश जारी हो जिसका अनुपालन पूर्णतया लोकल टी0वी0 चैनल करे और उसके प्रति लोकल टी0वी0 चैनल ही जवाबदेय हो। बदली परिस्थिति में लोकल टी0वी0 चैनल का प्रसारण एम0एस0ओ0 के प्लेटफार्म ,हिट्स के प्लेटफार्म , आई0पी0टी0वी0 के प्लेटफार्म पर हो सकता है। जिस कारण इन्टरकनेक्शन होगा किन्तु प्रसारण का कन्टेन्ट एक ही व रीयल टाइम होगा। स्पष्ट हो कि लोकल टी0वी0 चैनल का प्रसारण एक ही साथ सभी प्लेटफार्म पर होगा ,मात्र डी0टी0एच0 प्लेटफार्म को छोड़कर।

12:–

12.1:– सहमति है।

28.7.2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

12.2:— असहमति है। क्योंकि भविष्य में इर्मजिंग टेक्नॉलाजी आने से प्लेटफार्म शेयर होने की स्थिति रहेगी।

12.3:— सहमति है।

13:— डी0पी0ओ0 पर बगैर एम0आई0बी0 से लाईसेंस प्राप्त लोकल टी0वी0 चैनल का प्रसारण करने हेतु रोक अवश्य हो।

1.36 :— लोकल टी0वी0 चैनल पर लागू नहीं।

14 :— लोकल टी0वी0 चैनल पर लागू नहीं।

1.37 :— लोकल टी0वी0 चैनल के संदर्भ में डी0पी0ओ0 को अधिकार नहीं होगा। क्योंकि इसकी मानीटरिंग केबल टी0वी0नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट/रुल्स के तहत गठित जिलास्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जाने की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है।

1.38 :— लोकल टी0वी0 चैनल के लिए भी पूर्व गठित जिलास्तरीय निगरानी समिति को यह दायित्व पूर्व से ही प्राप्त है। इस समिति द्वारा समय–समय पर कियाविधियों की निगरानी की जाती है। लोकल टी0वी0 चैनल अपने कन्टेन्ट का रिकार्ड 90 दिन तक रखने में समक्ष है और आवश्यकतानुसार एम0आई0बी0 एवं ट्राई के दिशा निर्देशों का पालन करता रहेगा।

1.39 :— इसके सभी बिन्दुओं से सहमति हैं। तथा लोकल टी0वी0 चैनल को भी जिलास्तरीय निगरानी समिति के दायरे में रखा जाए।

1.40 :— डी0पी0ओ0 के स्थान पर रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी लोकल टी0वी0 चैनल की हो क्योंकि लोकल टी0वी0 चैनल अपना कन्ट्रोल रुम/स्टूडियो अलग स्थापित करता है जहॉ पर सारे रिकार्ड उपलब्ध रहेंगे। कोई भी सक्षम अधिकारी बिना पूर्व सूचना के भी इसकी जांच करने का अधिकृत हो सकता है।

15 :— लोकल टी0वी0 चैनल के निगरानी हेतु पूर्व से ही जिलास्तरीय निगरानी समिति गठित है जिसके प्रावधानों के तहत लोकल टी0वी0 चैनल के कार्यकमों की निगरानी के सम्बंध में समिति अपने सुझाव व निर्देश देकर जिला प्रशासन के सम्मुख रिर्पोट प्रस्तुत करती है। वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है उस समिति में जिला प्रशासन,पुलिस के अधिकारी,महिला महाविद्यालय की प्राचार्या, वरिष्ठ पत्रकार, बच्चों के मुद्दे पर कार्य करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविज्ञान/सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ शामिल है। आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट का मानना है कि इस समिति में लोकल टी0वी0 चैनल के एक प्रतिनिधि को अवश्य शामिल किया जाय।

1.41 :— सभी प्रावधान से सहमति है परन्तु लोकल टी0वी0 चैनल के संदर्भ में सम्पूर्ण दण्डात्मक कार्यवाही लोकल टी0वी0 चैनल पर ही हो।

16 :— लोकल टी0वी0 चैनल पर भी लागू हो।

1.42 :— लोकल टी0वी0 चैनल के लिए इस विषय में अलग से प्रावधान हो जहॉ डी0पी0ओ0 से किसी प्रकार का कोई सम्बंध न रहे क्योकि पंजीयन आदि की प्रकिया एम0आई0बी0 द्वारा ही सम्पादित हो।

28.7.2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

17 :— लोकल टी0वी0 चैनल के सम्बंध/विषय में सम्पूर्ण अधिकार एम0आई0बी0 को ही हो और वही नियमन एवं विनियमन से जुड़ी शर्तें बनाये। जिसका सुझाव उपरोक्त सभी बिन्दुओं में उद्धृत किया गया है।

1.43 :— कम से कम समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे निर्धारित नियमों का अनुपालन शीघ्रातिशीघ्र कर सके।

18 :— एम0आई0बी0 द्वारा रजिस्टर्ड/पंजीकृत लोकल टी0वी0 चैनल का ही प्रसारण प्रस्तावित विनियामक तंत्र के अनुरुप हो तथा इस हेतु अलग से एम0आई0बी0 ही निर्णय ले।

19 :— 23 जून 2014 को जारी इस परामर्श पत्र के सभी बिन्दुओं के अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि पूरे देश में चल रहे लोकल टी0वी0 चैनल के विभिन्न मुद्दों को समाहित नहीं किया गया है। आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने लोकल टी0वी0 चैनल के अस्तित्व, इसके संरक्षण,इसके परिमार्जन,हित सम्वर्धन एवं विनियमन हेतु एम0आई0बी0 एवं ट्राई को प्रस्ताव/पत्र दिनांक 11/08/2012 को पूर्व केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री,सुश्री अम्बिका सोनी जी, को इस संदर्भ में लिखा था जिसकी प्रतिलिपि ट्राई चेयरमैन डा0 राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। तदुपरांत दिनांक 30/09/2013 को भी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, श्री मनीष तिवारी जी को इसी संदर्भ में एक पत्र लिखा था जिसमें सुश्री अम्बिका सोनी जी को लिखे पत्र का हवाला था । जिसकी प्रतिलिपि भी ट्राई चेयरमैन डा0 राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)

जिसमें इस दिशा में हस्तक्षेप कर लोकल टी0वी0 चैनल के विनियमन की मांग की है।

दिनांक 11/08/2012 एवं 30/09/2013 के पत्रों की छायाप्रति संलग्न।

आपके संज्ञान में यह बिन्दु लाना अति आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में कई स्थानीय प्लेटफार्म के माध्यम से डी0पी0ओ0/एम0एस0ओ0 अनाधिकृत रुप से एम0आई0बी0 एवं ट्राई के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए क्षेत्रीय प्रसारण करके विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे है। ऐसी स्थिति में लोकल टी0वी0 चैनल जो नान सेटेलाईट चैनल है और जिनका प्रसारण जिलास्तरीय है इनके

28.7.2014
संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

लिए भी ट्राई के परामर्श पत्र के अनुरुप आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने सुझाव बिंदुवार प्रस्तुत किये है जिनका गहन संज्ञान अत्यंत आवश्यक है। लोकल टी0वी0 चैनल के लिए अलग से पंजीयन की व्यवस्था एवं एम0आई0बी0 द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पंजीयन की नीति एवं नियम को जोड़कर लोकल टी0वी0 चैनल का भी पंजीयन किया जा सकता है और यह प्रणाली सर्वग्राह्य एवं सुगम भी है।*हमारा ऐसा मानना है कि बेईमानी का अवसर न प्राप्त हो तो सब ईमानदार हैं।* इसी उद्देश्य से आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने भी लोकल टी0वी0 चैनल के लाईसेंस हेतु जिलास्तरीय तक ही पंजीयन की आवश्यकता पर बल देते हुए एम0आई0बी0 एवं ट्राई के सोच कि लोकल टी0वी0 चैनल बिना किसी लाईसेंस के सेटेलाईट/क्षेत्रीय चैनलों की भांति व्यवहार करते हैं । इसी बुनियाद के मद्देनजर लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट का भी मानना है कि जब लाईसेंस जिलास्तरीय होगा तो उपयुक्त दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण की सम्भावना शून्य होगी।

अध्याय–2

1:– पीएस की परिभाषा डी0पी0ओ0 को केन्द्र बिन्दु में रख कर दी गई है। जबकि लोकल टी0वी0 चैनल अपने कार्यक्रमों का निर्माण स्वयं करके अपने स्टूडियो/कन्ट्रोल रुम के माध्यम से ऑप्टिकल फाईबर केबल द्वारा एम0एस0ओ0/डी0पी0ओ0 के प्लेटफार्म पर सभी चैनलों के साथ अपनी अलग आडेंटिटी के अनुरुप प्रसारित करते हैं। तथा लोकल टी0वी0 चैनल के कार्यक्रम डाउलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति प्राप्त दूरदर्शन चैनल और सेटेलाईट टी0वी0 चैनल सम्मिलित नहीं होते हैं।

2.1.1 :– लोकल टी0वी0 चैनल कर सकते हैं(समाहित कर सकते हैं) क्योंकि लोकल टी0वी0 चैनल में किसी तरह का कोई एफ0डी0आई0 नहीं होगा।

2.1.2 :– स्थानीय स्तर की राजनैतिक घटनाओं को प्रेषित या सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे स्थानीय निकाय, राजनैतिक बैठकें,रैलियां,राजनैतिक विचार गोष्ठियॉ एवं ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों को प्रेषित या सम्मिलित कर सकते हैं।

2.1.3 :– सहमति है।

28-7-2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

2.1.4 :– सहमति है।

2.1.5 :– से 2.2.6 तक कोई टिप्पणी नहीं।

3 :– *लोकल टी0वी0 चैनल नियमित टी0वी0 प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका विस्तार (भौगोलिक क्षेत्र) जिलास्तरीय ही है।*

4 :– *कानूनी एकरुपता बनाये रखने के लिए सभी लोकल टी0वी0 चैनल को अलग से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।*

5:– लोकल टी0वी0 चैनल कोई विचार न हो यानि किसी भी प्रकार की एफ0डी0आई0 की अनुमति न हो।

6:– लोकल टी0वी0 चैनल पर लागू नहीं।

7:– गोपनीय रिर्पोट को ही सुरक्षा मंजूरी/शर्तों के रुप में स्वीकार किया जाए।

8:– लोकल टी0वी0 चैनल का पंजीयन एम0आई0बी0 द्वारा आन लाईन किये जाने के सम्बंध में न्यूनतम रु0 500/– वार्षिक के आधार पर 10 वर्ष हेतु रु0 5000/– निर्धारित किया जा सकता है।

9:– पिछले ट्रैक रिकार्ड के आधार पर लोकल टी0वी0 चैनल को नवीनीकरण की व्यवस्था पंजीयन शुल्क लेकर होनी चाहिए।

10:– लोकल टी0वी0 चैनल का भौगोलिक क्षेत्र जिला स्तरीय ही हो क्योंकि स्थानीय जनता को इससे लाभ होगा तथा उनकी समस्याओं एवं उसके निवारण आदि की दिशा में उन्हे सरकारी एवं प्रशासनिक सूचनाएं/जानकारी उपलब्ध हो सकेगी साथ ही स्थानीय बाजार गतिविधियां खेलकूद,बाढ,मौसम,खेती बागवानी,स्वास्थ्य आदि जैसी जानकारियां भी स्थानीय स्तर पर उन्हे मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध होगी। चूँकि लोकल टी0वी0 चैनल के प्रसारण का भौगोलिक क्षेत्र जिले की सीमा के अन्दर होगा इससे राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय चैनलों के क्षेत्र में अतिक्रमण की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होगी।

11:– लोकल टी0वी0 चैनल की संख्या निर्धारित होनी चाहिए परन्तु डी0पी0ओ0 को यह अधिकार कदापि नहीं दिया जाए वरन् इसका निर्णय एम0आई0बी0 करे।

28.7.2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

12:–

12.1:– सहमति है।

12.2:– असहमति है। क्योंकि भविष्य में इर्मजिंग टेक्नॉलाजी आने से प्लेटफार्म शेयर होने की स्थिति रहेगी।

12.3:– सहमति है।

13:– डी0पी0ओ0 पर बगैर एम0आई0बी0 से लाईसेंस प्राप्त लोकल टी0वी0 चैनल का प्रसारण करने हेतु रोक अवश्य हो।

14 :– लोकल टी0वी0 चैनल पर लागू नहीं।

15 :– लोकल टी0वी0 चैनल के निगरानी हेतु पूर्व से ही जिलास्तरीय निगरानी समिति गठित है जिसके प्रावधानों के तहत लोकल टी0वी0 चैनल के कार्यक्रमों की निगरानी के सम्बंध में समिति अपने सुझाव व निर्देश देकर जिला प्रशासन के सम्मुख रिर्पोट प्रस्तुत करती है। वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है उस समिति में जिला प्रशासन,पुलिस के अधिकारी,महिला महाविद्यालय की प्राचार्या,
वरिष्ठ पत्रकार, बच्चों के मुद्दे पर कार्य करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविज्ञान/सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ शामिल है। आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट का मानना है कि इस समिति में लोकल टी0वी0 चैनल के एक प्रतिनिधि को अवश्य शामिल किया जाय।

16 :– लोकल टी0वी0 चैनल पर भी लागू हो।

17 :– लोकल टी0वी0 चैनल के सम्बंध/विषय में सम्पूर्ण अधिकार एम0आई0बी0 को ही हो और वही नियमन एवं विनियमन से जुड़ी शर्तें बनाये। जिसका सुझाव उपरोक्त सभी बिन्दुओं में उद्वृत किया गया है।

18 :– एम0आई0बी0 द्वारा रजिस्टर्ड/पंजीकृत लोकल टी0वी0 चैनल का ही प्रसारण प्रस्तावित विनियामक तंत्र के अनुरुप हो तथा इस हेतु अलग से एम0आई0बी0 ही निर्णय ले।

19 :– 23 जून 2014 को जारी इस परामर्श पत्र के सभी बिन्दुओं के अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि पूरे देश में चल रहे लोकल टी0वी0 चैनल के विभिन्न मुद्दों को समाहित नहीं किया गया है। आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने लोकल टी0वी0 चैनल के अस्तित्व, इसके संरक्षण,इसके परिमार्जन,हित सम्वर्धन एवं विनियमन हेतु एम0आई0बी0 एवं ट्राई

28-7-2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

को प्रस्ताव/पत्र दिनांक 11/08/2012 को पूर्व केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री,सुश्री अम्बिका सोनी जी, को इस संदर्भ में लिखा था जिसकी प्रतिलिपि ट्राई चेयरमैन डा0 राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। तदुपरांत दिनांक 30/09/2013 को भी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, श्री मनीष तिवारी जी को इसी संदर्भ में एक पत्र लिखा था जिसमें सुश्री अम्बिका सोनी जी को लिखे पत्र का हवाला था । जिसकी प्रतिलिपि भी ट्राई चेयरमैन डा0 राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)जिसमें इस दिशा में हस्तक्षेप कर लोकल टी0वी0 चैनल के विनियमन की मांग की है।

दिनांक 11/08/2012 एवं 30/09/2013 के पत्रों की छायाप्रति संलग्न।

आपके संज्ञान में यह बिन्दु लाना अति आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में कई स्थानीय प्लेटफार्म के माध्यम से डी0पी0ओ0/एम0एस0ओ0 अनाधिकृत रुप से एम0आई0बी0 एवं ट्राई के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए लोकल टी0वी0 चैनल का क्षेत्रीय प्रसारण करके विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे है। ऐसी स्थिति में लोकल टी0वी0 चैनल जो नान सेटेलाईट चैनल है और जिनका प्रसारण जिलास्तरीय है इनके लिए भी ट्राई के परामर्श पत्र के अनुरुप आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने सुझाव बिंदुवार प्रस्तुत किये है जिनका गहन संज्ञान अत्यंत आवश्यक है। लोकल टी0वी0 चैनल के लिए अलग से पंजीयन की व्यवस्था एवं एम0आई0बी0 द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पंजीयन की नीति एवं नियम को जोड़कर लोकल टी0वी0 चैनल का भी पंजीयन किया जा सकता है और यह प्रणाली सर्वग्राह्य एवं सुगम भी है। *हमारा ऐसा मानना है कि बेईमानी का अवसर न प्राप्त हो तो सब ईमानदार हैं।* इसी उद्देश्य से आल इंडिया लोकल टी0वी0 चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने भी लोकल टी0वी0 चैनल के लाईसेंस हेतु जिलास्तरीय तक ही पंजीयन की आवश्यकता पर बल देते हुए एम0आई0बी0 एवं ट्राई के सोच कि लोकल टी0वी0 चैनल बिना किसी लाईसेंस के सेटेलाईट/क्षेत्रीय चैनलों की भांति व्यवहार करते हैं । इसी बुनियाद के मद्देनजर लोकल टी0वी0 चैनल

28-7-2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट का भी मानना है कि जब लाईसेंस जिलास्तरीय होगा तो उपयुक्त दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण की सम्भावना शून्य होगी।

महोदय, सभी लोकल टी0वी0 चैनल में बड़ी संख्या में टेक्नीशियन,कैमरापरशन/वीडियो जर्नलिस्ट एवं मीडियाकर्मी के अलावा कई कार्यक्रम तैयार करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं।यदि ऐसे में लोकल टी0वी0 चैनल के लिए अलग से नियमावली नहीं बनती है तो स्थिति चिन्तनीय होगी और स्थानीय स्तर पर आम जनता को सूचना के अधिकार, जानकारियां,सूचनाएं आदि से वंचित होना पडेगा और बड़ी संख्या में देश का एक बड़ा प्रशिक्षित वर्ग बेरोजगार हो जायेगा।

हम आजीवन आपके कृतज्ञ रहेंगे ।

धन्यवाद! सादर

भवदीय

28.7.2014

(हनुमान सिंह बघेल)

मुख्य ट्रस्टी

28.7.2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

संलग्न –

1. तत्कालीन प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, टी0 जार्ज जोसेफ,द्वारा दिनांक–16/02/2001 को निर्गत शासनादेश की छाया प्रति संलग्न।

2– दिनांक 11/08/2012 एवं 30/09/2013 के पत्रों की छायाप्रति संलग्न।

28.7.2014

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

संख्या–170/11–क०नि०–6–2001–वी०एम०(123)/99

प्रेषक,

टी० जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

कर एवं निबंधन अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक16 फरवरी, 2001

विषय: केबिल आपरेटरों द्वारा अपने स्वयं के चैनल चलाकर वीडियो प्रदर्शन करते हुये फिल्मों, न्यूज इत्यादि दिखाने पर लाइसेंस फीस को [illegible] तथा विज्ञापन प्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी पंजीकृत केबिल आपरेटर नियमानुसार सैटेलाइट चैनलों के कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं, जिस पर उन्हें मनोरंजन कर भी अदा करना होगा। यदि केबिल आपरेटर अपना स्वयं का चैनल चलाकर उसमें वीडियो प्रदर्शन करते हुये प्रमाणित व कापीराइट वाली ही फिल्में, न्यूज आदि दिखाना चाहते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश वीडियो नियमावली के अन्तर्गत लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। जिसके लिये सम्बन्ध–सम्बन्ध रु० 2400/–प्रति [illegible] लाइसेंस फीस जमा कराये जाने तथा इस सम्बन्ध में उ०प्र० वीडियो नियमावली में आवश्यक व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा रहा है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अग्रेतर निर्णय होने तक अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा न करने के आधार पर केबिल आपरेटरों को प्रताड़ित न किया जाय।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि केबिल आपरेटर भारत सरकार द्वारा लागू विज्ञापन कोड के अन्तर्गत सैटेलाइट चैनलों पर चल रहे कार्यक्रमों के ऊपर अपना विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकते हैं और अपने लोकल चैनलों पर भी विज्ञापन भारत विज्ञापन कोड के अनुसार ही कर सकते हैं।

भवदीय,

(टी० जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या–170(1)/11–क. नि. –6–2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, मनोरंजन कर आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(पु०के०सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

Mo.9235560283

ALL INDIA LOCAL T. V. CHANNEL OWNER'S WELFARE TRUST (R)

Head Office — 151-B, NEAR RAVI ICE FACTORY, ASHOK NAGAR, BASHARATPUR, GORAKHPUR , (U.P.)

Ref.No.- मेमो /2012

DATE-11 - 08 -2012

सेवा में,

सुश्री अम्बिका सोनी जी,

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय -- लोकल टी0वी0चैनलों को विनियमित करने तथा पंजीयन के संबन्ध में स्पष्ट नियमावली जारी करने के संदर्भ में -

महोदया,

लोकल टी0वी0चैनल ,शासन और प्रशासन की नीतियों को आम जन तक पहुँचाने केसाथ क्षेत्रीय जनता को उनकी समस्याओ और आस–पास की गतिविधियों, कार्यक्रमो और स्थानीय समाचारो को स्थानीय स्तर पर एम0एस0ओ0 के प्लेटफार्म से सभी चैनलो के साथ अपने कार्यकमों को स्थानीय एम0एस0ओ0 के माध्यम से प्रसारित करता रहा है।

❑ महोदया, लोकल टी0वी0चैनल (केबिल टेलीवीजन नेटवर्क)रूल्स 1994 एवं (केबिल टेलीवीजन नेटवर्क)एक्ट 1995 की परिभाषा (2) (जी) एवं स्टैन्डर्डस आफ क्वालिटी आफ

11-8-2012

संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

सर्विस(ब्राडकास्टिंग एण्ड केबिल सर्विसेज)**(केबिलटेलीविजन- कैस एरियाज)रेगुलेशन,2006** की परिभाषा (2) **(ओ)** तथा स्टैन्डर्डस आफ क्वालिटी आफ सर्विस (ब्राडकास्टिंग एण्ड केबिल सर्विसेज)**(केबिलटेलीविजन -नान कैस एरियाज)रेगुलेशन,2009** की परिभाषा (2)**(यस**)के तहत **प्रोग्रामिंग सर्विस** के रुप में सम्पूर्ण टेलीवीजन ब्राडकास्ट का अधिकार टेलीवीजन नेटवर्क को प्राप्त है। इस धारा के तहत सभी स्थानीय टीवी चैनल पंजीकृत किये जाते हैं । केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग में 500/– रूपया प्रति वर्ष पंजीयन शुल्क के रूप में अनक्लासीफाईड रीसीट्स हेड में जमा कराये जाने की अनिवार्यता है।

- महोदया, चूंकि देश के अलग - अलग राज्यों में लोकल टी0वी0चैनलों के पंजीयन का भी प्रावधान है। इसी के निमित्त में लोकल टी0वी0चैनलों को पंजीकृत कराना भी अनिवार्य है।
- महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा लोकल टी0वी0चैनलों के पंजीयन के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नियमावली अथवा गाईड लाइन न होने के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय - समय पर उत्पन्न बाधाओं और व्यवधान के कारण लोकल टी0वी0चैनल का शोषण एवं उत्पीडन हो रहा है। ऐसे में लोकल टी0वी0चैनल के अस्तित्व पर प्रहार होना स्वाभविक है।
- महोदया, वर्तमान समय में आपके मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश में वर्ष 2014 तक डिजिटिलाइजेशन के प्रकिया को पूरा कराना है, साथ ही ट्राई के नियमों का भी अनुपालन होना है। ऐसी स्थिति में **ट्राई के नियमावली तथा दिशा निर्देशों में लोकल टी0वी0चैनल को समाहित करना समीचीन होगा** । आपसे कर बद्व प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में ट्राई के नियमों में लोकल टी0वी0चैनल को भी शामिल करते हुए अलग से

11.8.2012

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

लोकल टी0वी0चैनलों के लिए नियमावली बनाया जाना आवश्यक है। जिसमें लोकल टी0वी0चैनलों के प्रसारण एवं रेगुलेशन की अलग से स्पष्ट व्याख्या हो।

महोदया, हमें आशा है कि आप अपने स्तर से अपने मंत्रालय के माध्यम से इस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोकल टी0वी0चैनल के अस्तित्व व विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करेंगी ।

इसी विश्वास के साथ ।

सादर ।

धन्यवाद!

भवदीय

11-8-2012

(हनुमान सिंह बघेल)

मुख्य / संस्थापक ट्रस्टी

11-8-2012

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

प्रतिलिपि –

1. डा0 राहुल खुल्लर, ट्राई चेयरमैन, नईदिल्ली, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

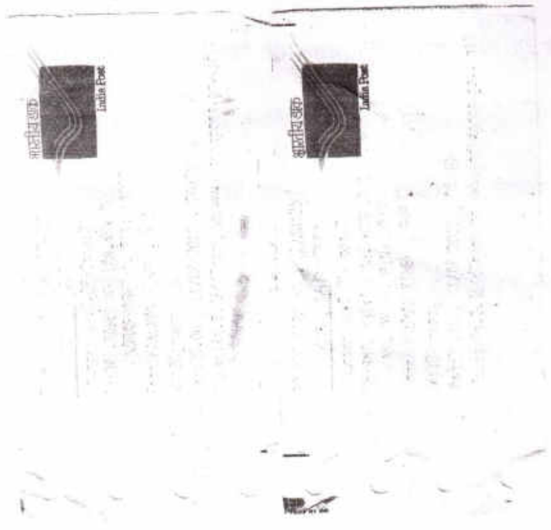

Mo.9235560283

ALL INDIA LOCAL T. V. CHANNEL OWNER'S WELFARE TRUST (R)

Head Office— 151-B, NEAR RAVI ICE FACTORY, ASHOK NAGAR, BASHARATPUR, GORAKHPUR , (U.P.)

Ref.No.- मेमो /2013 DATE-30 - 09 -2013

सेवा में,

श्री मनीष तिवारी जी,

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय -- लोकल टी0वी0चैनलों को विनियमित करने तथा पंजीयन के संबन्ध में स्पष्ट नियमावली जारी करने के संदर्भ में -

महोदय,

लोकल टी0वी0चैनल ,शासन और प्रशासन की नीतियों को आम जन तक पहुँचाने के साथ क्षेत्रीय जनता को उनकी समस्याओ और आस–पास की गतिविधियों, कार्यक्रमो और स्थानीय समाचारो को स्थानीय स्तर पर एम0एस0ओ0 के प्लेटफार्म से सभी चैनलो के साथ अपने कार्यकमों को प्रसारित करता रहा है।

ट्राई द्वारा लोकल टी0वी0चैनलों के प्रसारण एवं रेगुलेशन की अलग से स्पष्ट व्याख्या अति आवश्यक है।

30.9.2013

संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वैलफेयर ट्रस्ट

महोदय, हमने दिनांक **11/08/2012** को पूर्व केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, **सुश्री अम्बिका सोनी जी, को इस संदर्भ में एक पत्र लिखा था** जिसकी **प्रतिलिपि ट्राई चेयरमैन डा0 राहुल खुल्लर** को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। जनवरी 2013 में कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से यह पता चला कि आपके मंत्रालय ने लोकल टी0वी0 चैनलों के संदर्भ में ट्राई से सुझाव मांगे हैं किन्तु कोई आधिकारिक सूचना न तो हमें मिली न ही अब तक हुई किसी कार्यवाही से ही हम अवगत हैं।

महोदय, हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने स्तर से अपने मंत्रालय के माध्यम से इस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोकल टी0वी0चैनलों के अस्तित्व व विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा कर हमें अनुग्रहीत करने की कृपा करेंगे ।

सादर ।

धन्यवाद!

भवदीय

30.9.2013

(हनुमान सिंह बघेल)

मुख्य/संस्थापक ट्रस्टी

<u>प्रतिलिपि</u> –

डा0 राहुल खुल्लर, ट्राई चेयरमैन, नईदिल्ली, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न–

दिनांक 11/08/2012 के पत्र की छायाप्रति।

SP ASHOK NAGAR
EU1127670
Counter No:1,OP-Code:02
To:DR. RAHUL,
INDRAPRASTHA, PIN:110002
From:ALL INDIA , GKP
Wt:50grams,
PS:40.00, , 01/10/2013 , 14:46
Taxes:Rs.2.75<<Track on www.indiapo

SP ASHOK NAGAR
EU1127670
Counter No:1,OP-Code:02
To:SRI MANESH,
LOB, PIN:110003
From:ALL INDIA , GKP
Wt:50grams,
PS:40.00, , 01/10/2013 , 14:48
Taxes:Rs.2.75<<Track on www.indiapos